न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

विभूतिपुर काण्ड सं0 200/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 679/2020

7.9.20 आवेदक **1. विमलेश कुमार,** जो विभतिपुर थाना काण्ड सं0 200/20, धारा–272, 273 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 20.7.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास रंजन के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित जप्त शराब से उसका कोई संबंध नही है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक 20.7.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार सिन्हा के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–272, 273 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुॅचा तो टैम्पु निबंधन सं0 बी0आर0 33पी0ए0/3665 पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पकड़ाये व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम विमलेश कुमार (आवेदक अभियुक्त) बताया तथा भागने वाले का नाम संतोष कुमार बताया। तलाशी के क्रम में उपरोक्त टैम्पु से 750 एम0एल0 का 8 कार्टुन375 एम0एल0 का 5 कार्टुन एवं 180 एम0एल0 का 2 कार्टुन, कुल 134.280 लीटर बरामद किया गया जिसकी जप्ती सूची बनायी गयी। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा वाद अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की भारी मात्रा को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद